राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 165(13)ले.ब./परावि/ते.वि.आ./2013-14/ 2079 जयपुर, दिनांक 07.04.2014

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या– 02/2014–15

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा नॉन परफोरमिंग राज्यों की सामान्य क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान की कटौती कर राजस्थान राज्य को वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु 76,35,59,000/– रूपये एवं 2013–14 हेतु 89,69,88,000/– रूपये कुल राशि 166,05,47,000/– रूपये (अक्षरे राशि रू एक सौ छियांसठ करोड पांच लाख सेतालिस हजार मात्र) की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2013–14 में जारी की हैं। विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए 2,49,12,000/– रूपये वर्ष 2012–13 के लिए 1,39,21,000/– रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 1,52,68,000/– रूपये कुल इस प्रकार कुल राशि रूपये 5,41,01,000/– रूपये जिसमें से पंचायती राज विभाग का हिस्सा 5,14,50,000/– रूपये की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2013–14 में जारी की हैं। इस प्रकार जारी की गई स्वीकृति की हिस्सा राशि 141,14,65,000/–(अक्षरे राशि रू एक सौ इकतालिस करोड चोदह लाख पेसठ हजार मात्र) सामान्य निष्पादन अनुदान एवं 5,14,50,000/– (अक्षरे राशि रू पांच करोड चोदह लाख पचास हजार मात्र) विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान की राशि संलग्न सारणी अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों को बैंकिग चैनल ऑफ लाईन के माध्यम से हस्तांतरित किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है । इस राशि का उपयोग विभाग द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए उक्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत चिन्हित कार्यों पर ही किया जावे । इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:–

मद	सामान्य निष्पादन अनुदान राशि	विशेष क्षैत्र निष्पादन अनुदान राशि	कुल योग
मांग सं. 41 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 198–ग्राम पंचायतों को सहायता (17)–तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिऐ सामान्य निष्पादन अनुदान [02]–कार्यकलाप / गतिविधियां 12–सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना–भिन्न)	141,14,65,000	—	141,14,65,000
मांग सं. 41 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 198–ग्राम पंचायतों को सहायता (19)–तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिऐ विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान [02]–कार्यकलाप / गतिविधियां 12–सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना–भिन्न)	—	5,14,50,000	5,14,50,000
कुल योग	**141,14,65,000**	**5,14,50,000**	**146,29,15,000**

(अक्षरे राशि रू एक सौ छियालिस करोड उनतीस लाख पन्द्रह हजार मात्र)

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी.संख्या 331400243 दिनांक 04.04.14 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है । आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जावें।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
2. उप शासन सचिव वित्त (आय–व्ययक)विभाग, को भेजकर कर अनुरोध है कि उक्तानुसार व्यवस्था के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही तत्काल पूर्ण करने हेतु कोष कार्यालय, सचिवालय को उचित निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें ।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर ।
4. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय--5) विभाग ।
5. संयुक्त सचिव वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग ।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय को प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे एफ.वी.सी. बिलों के अनुसार चैक तैयार करवाकर विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का श्रम करावे।
7. ..... बैंक को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि आपके बैंक एवं आपके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्थित ग्राम पंचायतों के खातों में पंचायतों के नाम के सम्मुख अंकित राशि सम्बन्धित खातों में अन्तरित करवाने की एक कार्य दिवस में व्यवस्था करावें, तथा विभाग को अविलम्ब सूचित करे।
8. **चीफ मैनेजर / ब्रान्च मैनेजर .....बैंक को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि सारणी में अंकित ग्राम पंचायतों के सम्मुख अंकित राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चेक अविलम्ब "सरपंच, ग्राम पचायत ..... पंचायत समिति ..... जिला ..... " के नाम बनाकर प्रेषित करावें।**
9. समस्त चीफ मैनेजर/ब्रान्च मैनेजर संबंधित बैंक को प्रेषित, कर लेख है कि संलग्न सारणियों के अनुसार खाता संख्या संबंधित ग्राम पंचायत का ही है इसकी पुष्टि उपरान्त ही राशि का अन्तरण किया जावें । गलत खाते में अन्तरण नहीं हो इसका ध्यान रखा जावे। यदि किसी भी ग्राम पंचायत के नाम में अथवा बैंक ब्रान्च खाता संख्या में ऐसी कोई भिन्नता आती है जिसके कारणवश राशि का अन्तरण संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में किया जाना सम्भव नही हो पा रहा हो तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने पर अविलम्ब " सरपंच ग्राम पंचायत.....(प.स.....जिला ..... के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चैक बनाकर प्रेषित कराने का श्रम करावें।
10. समस्त चीफ मैनेजर ,/ ब्रान्च मैनेजर संबंधित बैंक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त वर्णित प्रकिया में किसी भी बैंक को राशि के हस्तान्तरण करने अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने इत्यादि पर किसी भी तरह का कोई कमीशन/सर्विस चार्ज आदि देय नहीं होगा ।
11. आहरण एवं वितरण अधिकारी, विभाग मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त स्वीकृति के आधार पर एफ वी.सी. बिल तैयार कर कोषालय, सचिवालय प्रेषित कर पारित करवाने की तत्काल व्यवस्था करावे।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होने वाली तेरहवें वित्त आयोग की राशि के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रस्थ विकास अधिकारीगण एवं सरपंचगण को तत्काल सूचित करवाये कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा तेरहवे वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रहते हुये उक्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत चिन्हित कार्यो पर ही किया जावे तथा समस्त विकास अधिकारीगण इस बाबत अपने क्षेत्रस्थ ग्राम पंचायतो को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर दें, ग्राम पचायतवार अन्तरित राशि की सूची ई–मेल से प्रेषित की गई है। अतः तदानुसार प्रिन्ट लेकर विकास अधिकारी एव सरपंच, ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करावे।
13. लेखाधिकारी , जिला परिषद समस्त
14. समस्त विकास अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होने वाली तेरहवें वित्त आयोग की राशि के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रस्थ सरपंचगण को तत्काल सूचित करवाये कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा तेरहवे वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रहते हुये उक्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत चिन्हित कार्यो पर ही किया जावे, ग्राम पचायतवार अन्तरित राशि की सूची ई–मेल से प्रेषित की गई है। अतः तदानुसार प्रिन्ट लेकर सरपंच, ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करावे।
15. कम्प्यूटर सैल पंचायती राज मुख्यालय विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली ।

शासन सचिव एवं आयुक्त .